संख्या- 59/1868/बयालिस-2015-09(निर्माण)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 13 अगस्त, 2015**

विषय :- सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 69/नि0सैफई क्रिकेट स्टे0/2015-16, दिनांक : 27 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 26030.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्ष- 2015-16 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(4)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- प्रायोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्ण मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(11)- प्रायोजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैक की प्रति व्यय वित्त समिति को उपलब्ध करायी जाये।

(12)- प्रायोजना प्रस्ताव आगणन में प्रस्तावित कार्य वृहत एवं विशिष्ट प्रकृति के होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रस्तावित किये गये है। अत: प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु खेल से सम्बन्धित विशेषज्ञयों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाये। समिति क्रिकेट स्टेडियम की प्लानिंग एवं निर्माण के परिवेक्षण के लिए समिति का गठन किया जाये जिसमें इण्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल का एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इण्डिया से सम्बन्धित एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर के एक क्रिकेट कोच भी सदस्य हो। समिति का दायित्व होगा कि प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य की गुणवत्ता तथा ड्राईंग व डिजाईन राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानको के अनुरूप हो।

(13)- प्रायोजना अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर, डि0जी0 सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, यू0पी0एस0 सिस्टम, आई0बी0एम0एस0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, लिफ्ट, ई0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम, आदि की स्थापना हेतु प्रयुक्त दरों को प्रभाग स्तर पर इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माणाताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते तथा इनके मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(14)- प्रायोजना अन्तर्गत लेवलिंग, आन्तरिक रोड, सीवर लाईन, डिस्ट्रीब्यूशन लाई, स्टार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर आपरेशन, ट्यूबवेल एवं बोरिंग, ओवर हेड टैंक आदि कार्य मदों हेतु डी0एस0आर0/एकमुश्त लागत प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार सन्दर्भित आगणन पूर्णतया तदर्थ रूप से गठित किया गया है। निर्माण से पूर्ण इस समस्त मदों का विस्तृत आगणन का गठन जनपद के अनुसूची दरों पर किया जाये एवं गठित आगणन सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति स्वीकृति प्राप्त करने पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(15)- प्रायोजना अन्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन एवं निदिष्ट शर्तों/उपबन्धों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा। समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है। तो इस

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थिति में पुनरिक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-91-सैफई स्पोर्टस कालेज, इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 1048/2015, दिनांक 12 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- 59/1868(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई (इटावा)।
(7)- प्रधानाचार्य, सैफई स्पोर्टस कालेज, सैफई।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in